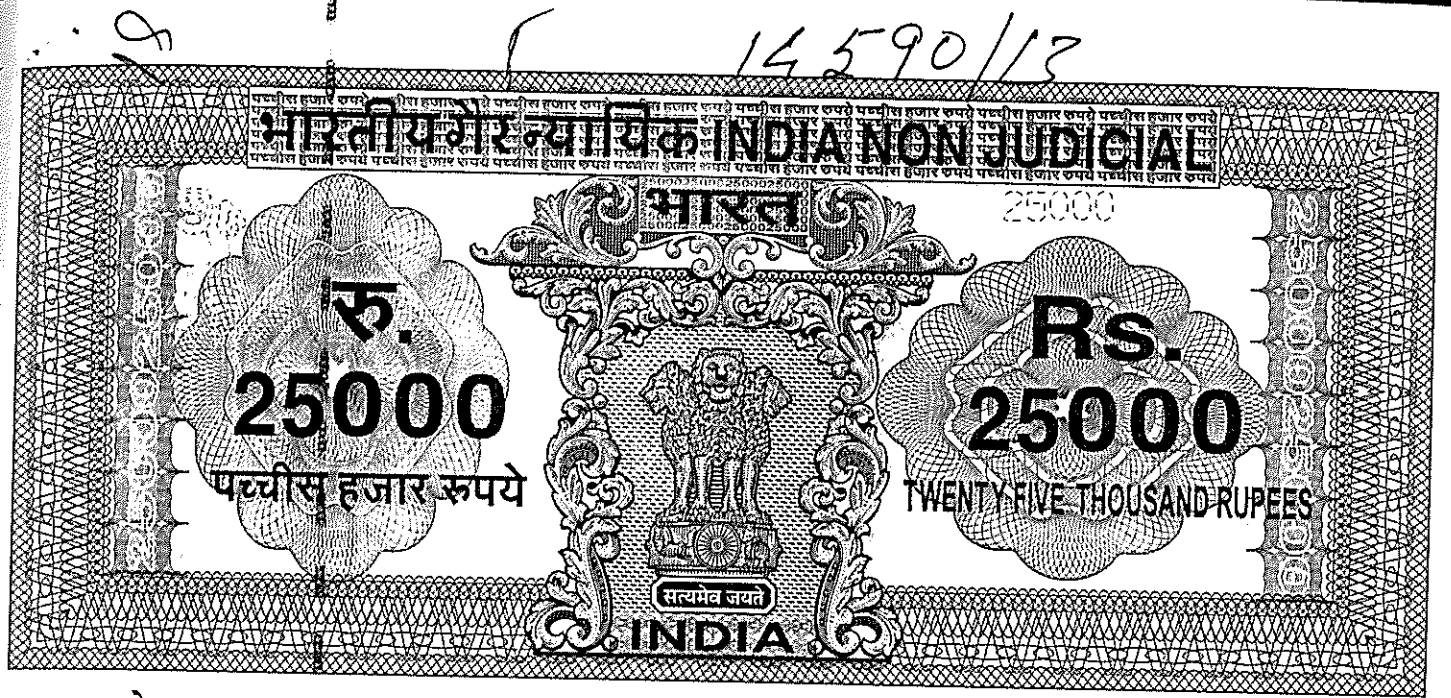




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36282



Photo Authenticated

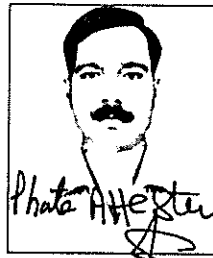
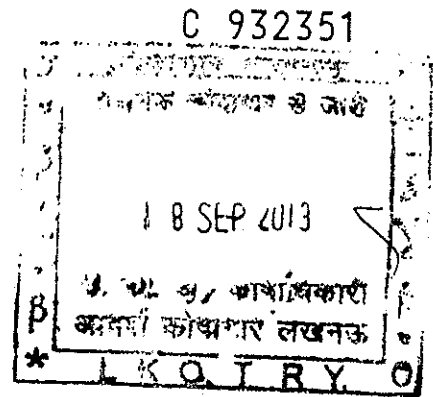


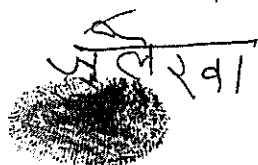
Photo Authenticated



विक्रय मूल्य रु0-25,00,000/-
मालियत रु0 - 9,92,000/-
जनरल स्टाम्प रु0-1,75,000/-
परगना - लखनऊ।

बयनामा

भूमि का प्रकार: - कृषि आराजी
परगना: - लखनऊ
ग्राम - बाघामऊ (वी कोड-1060)

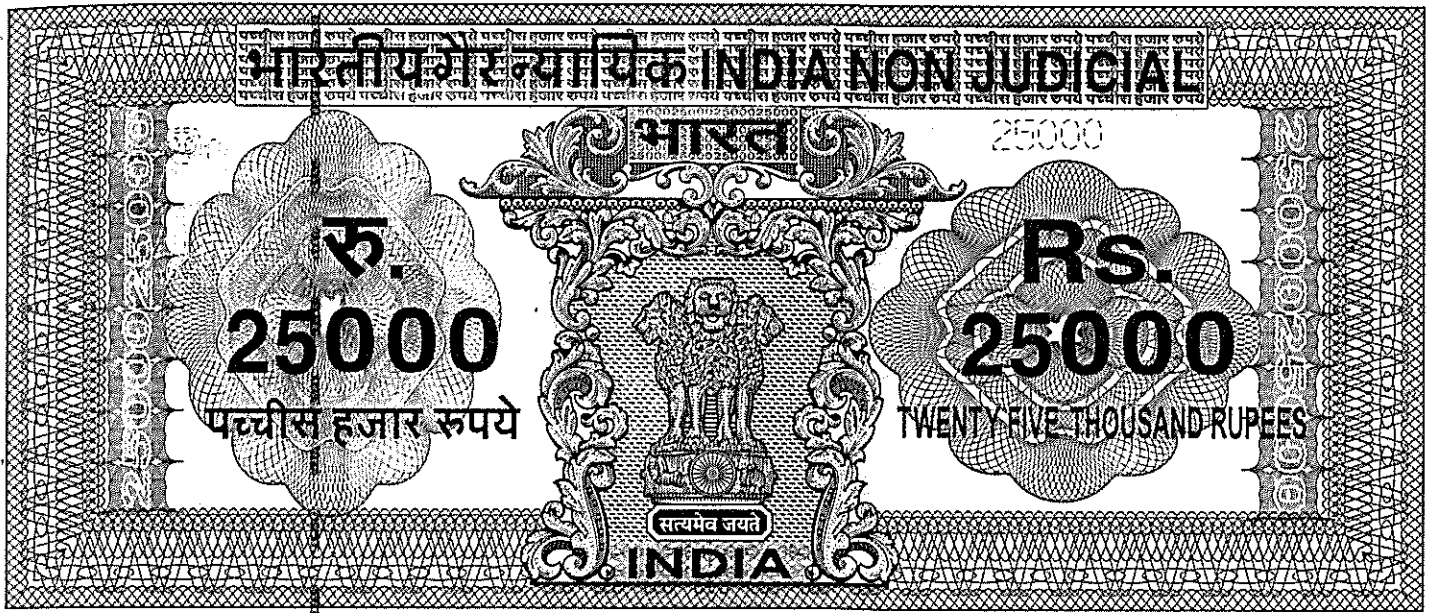


25/11/13

Mr P. K. 16 398 516 0146

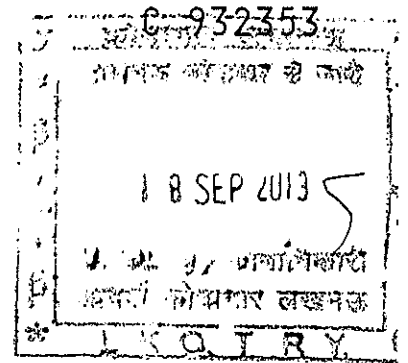
④





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

882353



- 3 -

चौहद्दी खसरा संख्या-423क

- पूरब: - भूमि अन्य
पश्चिम: - खसरा संख्या-397 व 436
उत्तर: - खसरा संख्या-422
दक्षिण: - खसरा संख्या-435

श्रीमती जुलेखा पत्नी श्री मोहम्मद इस्लाम
निवासी-67/19, पोखरपुर, के0डी0ए0 कालोनी, जाजमऊ,
कानपुर, उ0प्र0।

.....विक्रेता

J. W.

जुलेखा

पञ्जाब प्रोविन्स, लाहौर

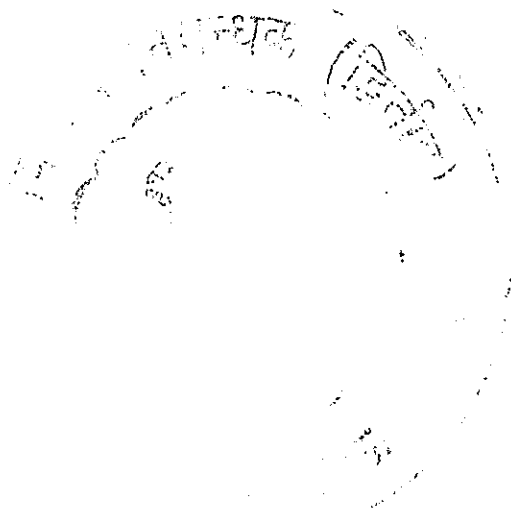
दिनांक 28/1/23

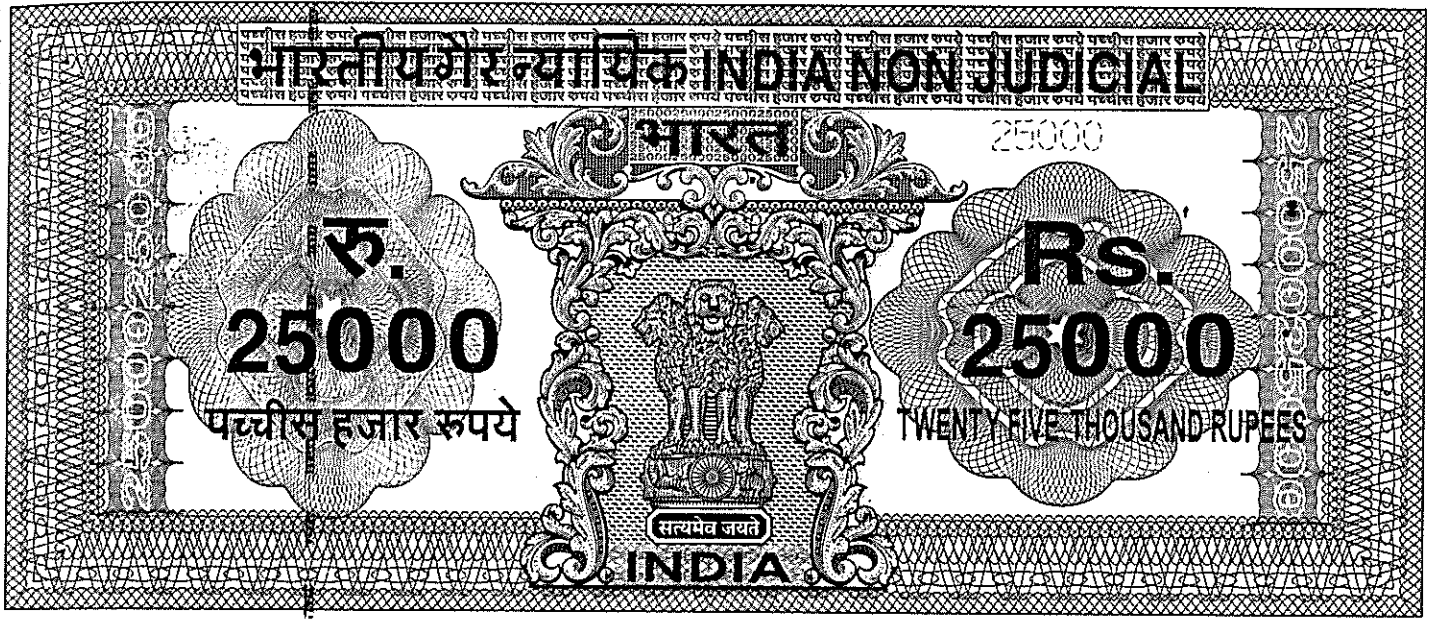
स्थान 28

पञ्जाब प्रोविन्स, लाहौर

पञ्जाब प्रोविन्स, लाहौर

पञ्जाब प्रोविन्स, लाहौर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

882341

C. 932341

- 4 -

ए०एन०एस० डेवलपर्स प्रा० लि० स्थित
कार्यालय 144/2, ए०एन०एस० हाउस, II-फ्लोर, आश्रम
मथुरा रोड, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत डी०एन० त्रिपाठी
पुत्र श्री, रामजी त्रिपाठी निवासी-126/31, वी०एन० रोड,
लालबाग, लखनऊ।

..... क्रेता

जो कि भूमि खसरा संख्या-358 रकबा 0.0890
हेक्टेयर व खसरा संख्या-423क रकबा 0.0350 हेक्टेयर
इस प्रकार कुल 2 किता कुल रकबा 0.1240 हेक्टेयर
स्थित ग्राम बाघामऊ, परगना तहसील व जिला लखनऊ

D. M.

जुल 24/

विवाह कोटेशन

.....

दिनांक 24/1/2013

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

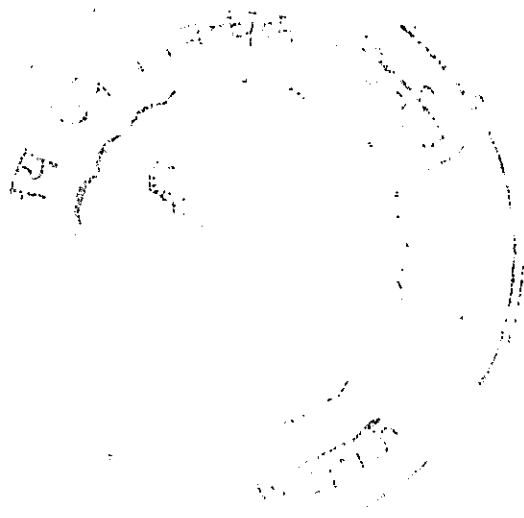
.....

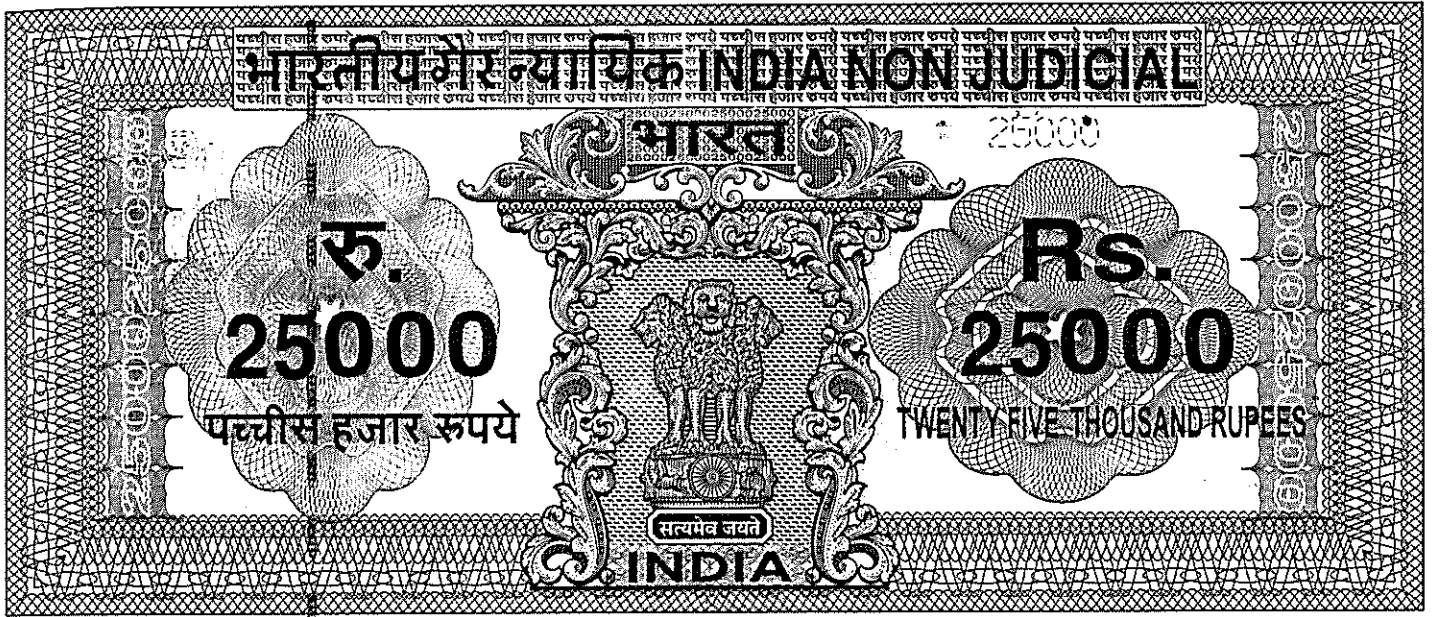
.....

.....



.....





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

932338

C 932338

- 5 -

जिसका विक्रेता उपरोक्त मालिक कामिल व काबिज है। उक्त भूमि को विक्रेता ने जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख बजरंग, मन्ने, शंकरी, घनश्याम, बसन्त पुत्रगण राम आसरे से क्रय किया था जो कि उपनिबन्धक कार्यालय द्वितीय, लखनऊ में दिनांक 12.03.2004 को बही संख्या-1 जिल्द संख्या-4233 के पृष्ठ संख्या-379 से 400 पर क्रमांक-2369 पर पंजीकृत है, जिसका दाखिल खारिज हो चुका है तथा राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधरी में विक्रेता का नाम दर्ज है। उक्त आराजी समस्त प्रकार के भारों व विवादों अजकिस्म रेहन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की, मुकदमा आदि से पूर्णतया बरी व पाक साफ है जिसको विक्रय आदि करने का विक्रेता को मालिकाना हक हासिल है। अब विक्रेता ने

उलरबा

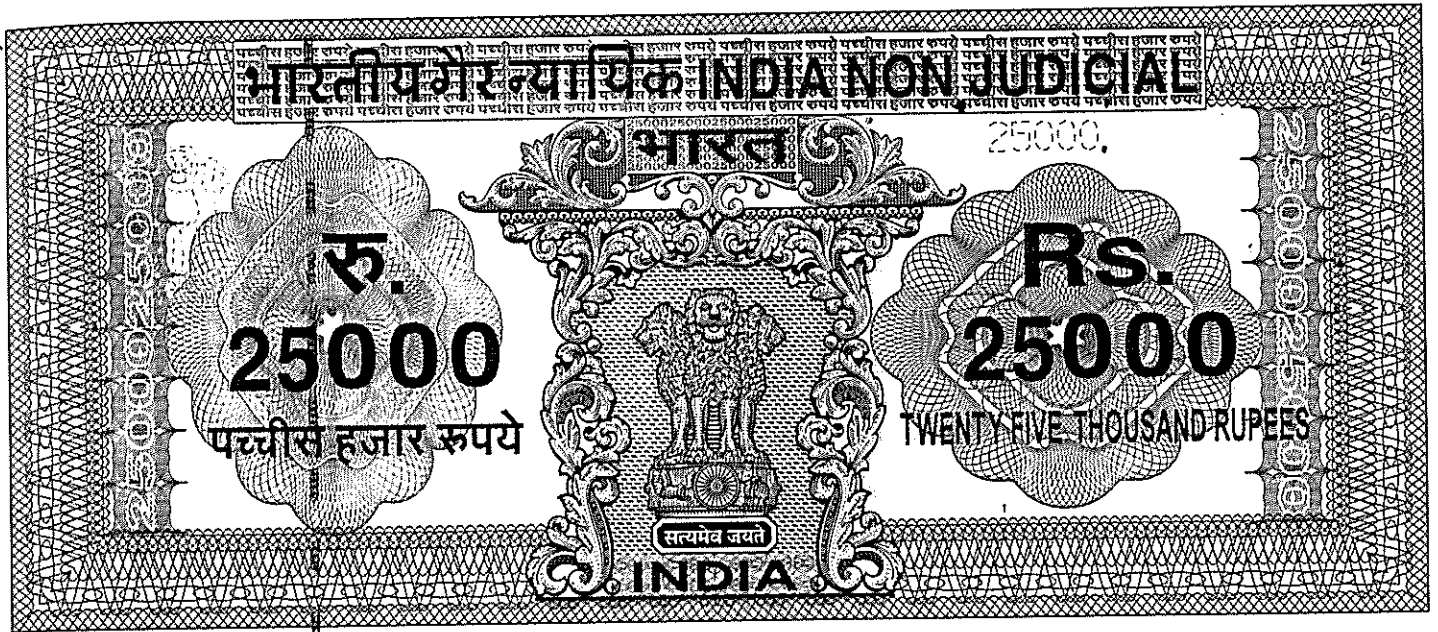
11.11.11

24/9/2023

24/4/2023
25/4/2023 7:00 PM G.M.

[Handwritten signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

© 932340

C 932340

-7-

अनुसार क्रेता से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना आराजी विक्री शुदा पर आज से बजाय अपने क्रेता का बखूबी करा दिया। अब विक्रेता या उनके वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा विक्रीशुदा आराजी में शेष नहीं रहा। अब अगर कोई दीगर शख्स अपना हक या दावा करे तो दावा उसका बातिल व नाजायज करार दिया जावे और अगर किसी शख्स की दावेदारी या हकदारी या उज्जदारी से आराजी विक्रीशुदा क्रेता के कब्जे से निकल जावे या कब्जा न रहे या मिल्कियत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाय या अन्य किसी प्रकार से विवादित या भार ग्रसित पायी जाय तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता व उनके वारिसान व कायम मुकामान को हक हासिल होगा कि वह अपना

D. Min

जुलै २०११

.....

..... 24/1/2023

..... 2000

..... 4. 1076 30344 014

.....

..... 3

.....



कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा व खर्चा के विक्रेता या उनके वारिसान व कायम मुकामान की दीगर जायदाद चल व अचल से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे कोई उज्र नहीं होगा। विक्रीशुदा आराजी को क्रेता कागजात सरकारी में अपने नाम दर्ज करवा लेवें, इसमें विक्रेता को कोई उज्र नहीं होगा।

विक्रीशुदा आराजी कृषि आराजी है जिसकी बाजारी मालियत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ द्वारा निर्धारित वर्तमान दर रुपये 80,00,000/- प्रति हेक्टेयर की दर से विक्रीशुदा आराजी रकबा 0.1240 हेक्टेयर भूमि की मालियत रुपये 9,92,000/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है, इसलिये विक्रय मूल्य पर संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या स0 वि0 क0 नि0 -5-2756/ 11/ 2008- 500 (165) 2007 दिनांक 30.6.2008 के अनुसार नियमानुसार जनरल स्टाम्प 7 प्रतिशत के हिसाब से रुपये 1,75,000/- का अदा किया गया है।

आराजी विक्रीशुदा का भूमि उपयोग कृषि है। आराजी विक्रीशुदा किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग, जनपदीय रोड व लिंकमार्ग के किनारे स्थित नहीं है आराजी विक्रीशुदा पर कोई भी पेड़, बाग, बगीचा, ट्यूबवेल, निर्माण, कुआं आदि नहीं है तथा उक्त आराजी की 200 मीटर त्रिज्या में कोई आबादी नहीं है। आराजी नगर निगम सीमा से बाहर स्थित है। उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद द्वारा या अन्य किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी योजना में अधिगृहीत नहीं है। विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है। विक्रेता व

उल्लेख

D. Min

2,500,000.00 / 992,000.00

विक्रय पत्र

10,000.00
फीस रजिस्ट्री

20 10,020.00
नकल व प्रति शुल्क योग

1,000
शब्द लगभग

प्रतिफल मालियत
श्रीमती जुलेखा
पत्नी श्री मोहम्मद इस्लाम

जुल 24/

व्यवसाय गृहिणी

निवासी ग्यावी 67/19, पोखरपुर के डी ए कालोनी कानपुर

अस्थायी पता

न यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 26/9/2013 समय 1:37PM

वजे निबन्धन हेतु पेश किया।

जुल 24/

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

जुल 24/

श्रीमती जुलेखा

पत्नी श्री मोहम्मद इस्लाम

पेशा गृहिणी

निवासी 67/19, पोखरपुर के डी ए कालोनी कानपुर

क्रेता

श्री ए.एन.एस.डेवलपर्स

प्रा.लि.द्रा.अधि.हस्ता.डी.एन.त्रिपाठी

पुत्र श्री रामजी त्रिपाठी

पेशा नौकरी

निवासी 126/31, वी.एन.रोड लालबाग, लखनऊ

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एच0 के0 पाण्डेय
उप-निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

26/9/2013

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री संजीव सिंह

पुत्र श्री लालता सिंह

पेशा व्यापार

निवासी वी.एन.रोड लालबाग, लखनऊ

व श्री रुद्र प्रताप सिंह एड.कले.कोर्ट, लखनऊ

पुत्र श्री

पेशा वकालत

निवासी

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र याक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एच0 के0 पाण्डेय
उप-निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

26/9/2013

केता का स्थाई व अस्थायी पता उपरोक्त ही है। विक्रीशुदा आराजी मुख्य सड़क फैजाबाद रोड से 5 किलोमीटर से भी अधिक दूर है।

इस विक्रय विलेख में वर्णित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त तथ्य व अभिलेख विक्रेता व क्रेता द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। उन्ही तथ्यों व अभिलेखों के आधार पर यह विक्रय विलेख तैयार किया गया है। जिसमें अधिवक्ता व टाइपकर्ता की कोई जिम्मेदारी उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित नहीं है। विक्रेता व क्रेता के फोटो उपलब्ध कराये गये परिचय पत्रों व गवाहों द्वारा की गयी पहचान के आधार पर ही प्रमाणित किये गये हैं।

लिहाजा यह विक्रय विलेख कतई बहक केता उक्त के निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

विवरण आराजी विक्रीशुदा

भूमि खसरा संख्या-358 रकबा 0.0890 हेक्टेयर व खसरा संख्या-423क रकबा 0.0350 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 2 किता कुल रकबा 0.1240 हेक्टेयर स्थित ग्राम बाघामऊ, परगना तहसील व जिला लखनऊ।

१
जुल २०११

10.11.11

विक्रेता

Registration No.: 14590

Year : 2,013

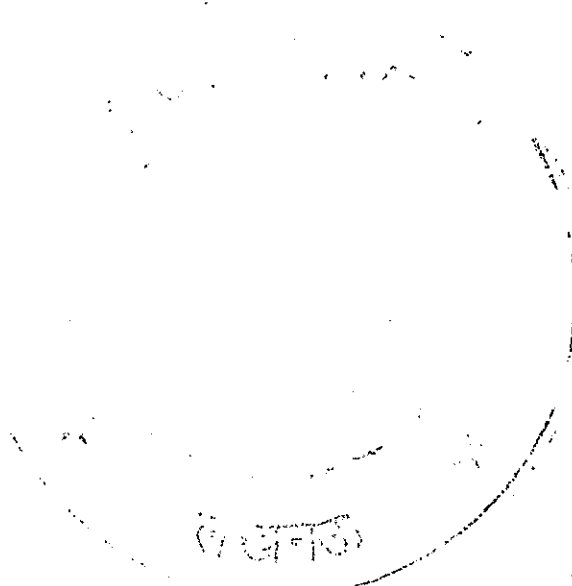
Book No. : 1

0101 जुलेखा

मोहम्मद इस्लाम

67/19, पोखरपुर के डी ए कालोनी कानपुर

गृहिणी



तफसील वसूलयाबी विक्रय धनराशि

कुल विक्रय मूल्य रूपये 25,00,000/- (पच्चीस लाख रूपये) जरिये आर0टी0जी0एस0 दिनांक 24.09.2013 यू0टी0आर0 नं0-HDFCH13267818767 विक्रेता के खाते में क्रेता के खाते से हस्तान्तरित किया गया। अब कुछ भी पाना शेष नहीं रहा।

लखनऊ :

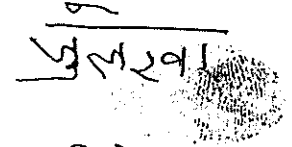
दिनांक : 26.09.2013

गवाह 1-

पता- सुंजीव सिंह
श्री श्री लालता सिंह
बीएन0 रोड लाल बाग
लखनऊ

गवाह 2-

पता- कलकट्टे 2-ला०१३



विक्रेता

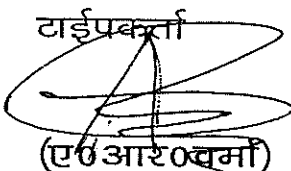
पैन:-AMZPK1297J



क्रेता



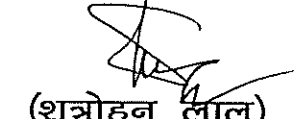
टाईपकर्ता



(ए0आर0वर्मा)

जिला कचहरी लखनऊ ।

मसविदाकर्ता



(शत्रोहन लाल)

एडवोकेट

कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ।

मो0नं0-9838275640

क्रेता

Registration No. : 14590

Year : 2,013

Book No. : 1

0201 ए.एन.एस.डेवलपर्स प्रा.लि.द्रा.अधि.हस्ता.डी.एन.त्रिपाठी
रामजी त्रिपाठी
126/31,वी.एन.रोड लालबाग,लखनऊ
नौकरी



लखनऊ

नजरी - नक्शा (कृषि भूमि)

भूमि स्थित ग्राम- बाघामऊ

परगना व

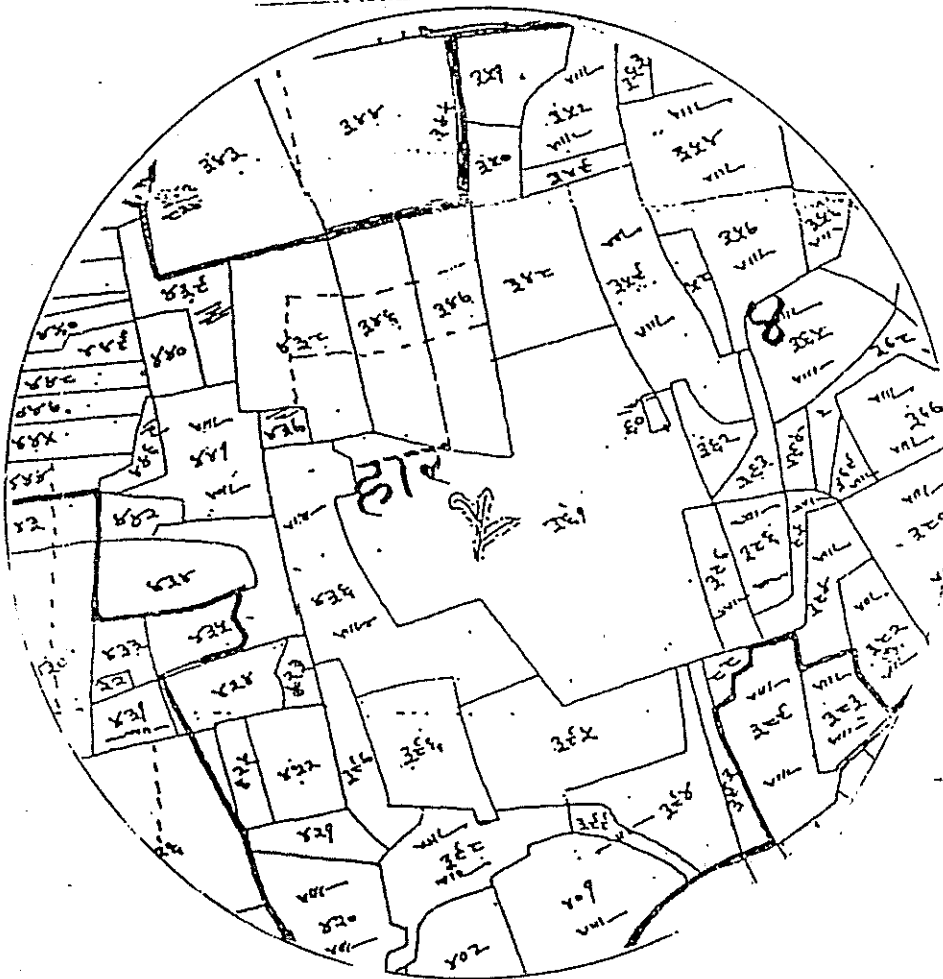
तहसील व

जिला लखनऊ।

खसरा संख्या- 358 व 423 क

कुल रकबा - 0.1240 हेक्टेयर

200 मीटर की त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित समस्त
परिसम्पत्तियों का विवरण



हस्ताक्षर विक्रेता

जुलैवा

हस्ताक्षर क्रेता

D. Man

0201

Re

आज दिनांक 26/09/2013 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 14462

पृष्ठ सं. 207 से 228 पर कमांक 14590

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एच0 के0 पाण्डेय
उप-निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ

26/9/2013

